डिक्री बमूकद्दमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 273/2022

वादी

1. भंवरलाल पुत्र शिवकरण
2. मेघाराम पुत्र शिवकरण
3. पूर्णाराम पुत्र शिवकरण जातियान मेघवाल निवासीगण रांतगा तहसील डेह जिला नागौर,

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गुमानी पुत्री शिवकरण
2. नेकी उर्फ गेकी पत्नी शिवकरण
3. नेनाराम पुत्र हरदीनराम
4. भीकाराम पुत्र हरदीनराम जातियान मेघवाल निवासीगण रांतगा तहसील डेह जिला नागौर
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

1- वादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री हनुमानराम मण्डा एडवोकेट

2- प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री नरेश जाट एडवोकेट

: : डिक्री आदेश : :

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री नरेश जाट एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :–

1. वादी भंवरलाल के हक बंट कब्ज काश्त खातेदारी में मौजा रातंगा का खसरा नम्बर 1265/1003 रकबा 1.0117 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी संख्या 2 मेघाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रातंगा के खसरा नम्बर 96/1183 रकबा 2.4281 हैक्टेयर में से रकबा 1.21405 हैक्टेयर उत्तरी भाग रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. वादी संख्या 3 पूर्णाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रातंगा के खसरा नम्बर 96/1183 रकबा 2.4281 हैक्टेयर में से रकबा 1.21405 हैक्टेयर दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. उक्त खसरान के बैंक के रहन कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।

Scanned with CamScanner